

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री राजीव रंजन, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद (ID-J8169), जो वर्तमान में जल पथ प्रमण्डल सं०-1, चैनपुर, गुमला में पदस्थापित है, के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5855 दिनांक- 30.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। यह विभागीय कार्यवाही टुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत पूर्णाडीह चरक मोड़ पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के आरोप से संबंधित है।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री राजीव रंजन (ID-J8169), द्वारा अभ्यावेदन दिनांक- 20.01.2017 समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि वे ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद में वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कार्यरत रहे तथा आरोप में वर्णित कार्य से उनका कोई संबंध नहीं है।

श्री रंजन से प्राप्त अभ्यावेदन, इनकी बायोडाटा एवं उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक- 348 दिनांक- 02.02.2015 द्वारा श्री राजीव रंजन के विरुद्ध प्रेषित प्रपत्र 'क' की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राजीव रंजन (ID-J8169) दिनांक- 30.06.2005 से दिनांक- 30.06.2008 तक ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद में पदस्थापित रहे तथा संदर्भित आरोप का वर्ष 2012-13 है। इस प्रकार श्री राजीव रंजन (ID-J8169) आरोप की अवधि में ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद में पदस्थापित नहीं थे बल्कि एक अन्य राजीव रंजन (ID-C016) आरोप की अवधि में इस प्रमण्डल में पदस्थापित थे।

अतएव विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5855 दिनांक-30.12.2016 द्वारा श्री राजीव रंजन, सहायक अभियंता (ID-J8169) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

इस निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1579 राँची / दिनांक 26-03-18

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के पत्रांक-1807 दिनांक-02.06.2016 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5855 दिनांक- 30.12.2016 के क्रम में/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल सं०-01, चैनपुर, अंचल गुमला/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव